OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR
(LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A. Sur./ 30

Dated:- 25.4.2011

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Patna.

Sir,

Audit Report No. **731/10-11** on the accounts of **Nagar Parishad, Khagaria** for the period **2008-09** to **2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely

Encl:- As above

25/4/11

(Pankaj Kumar Choudhary)
Sr. Audit Officer/Surcharge

(18)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्याः– 731/2010–11
नगर परिषद, खगड़िया

प्रस्तावना :–

खगड़िया नगर परिषद के वर्ष 2008–09 से 09–10 तक के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के एक लेखा–परीक्षा दल द्वारा दिनांक 09.02.11से 01.03.11 तक की अवधि में की गयी।

2. **प्रशासन :–**

क0 सं0	सभापति का नाम	अवधि
1.	श्री मनोहर कुमार यादव	01.04.2008 से 31.03.10 तक
	उपसभापति का नाम	
1.	श्री विनय कुमार पटेल	01. 04.08 से 31.03.10 तक

कार्यपालक पदाधिकारी का नामः–

क0 सं0	नाम	पदावधि
1.	श्री सुभाष चन्द्र मण्डल , बि0 प्र0 से0	01.04.08 से 09.03.09 तक
2.	श्री प्रमोद कुमार, बि0 प्र0 से0	09.03.09 से 22.12.09 तक
3.	श्री राम दयाल महतों, सहायक अभियंता	22.10.09 से 31.03.10 तक

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र :–**

अंकेक्षण में जॉच किये गए अभिलेखों की सूचि परिशिष्ट – I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गए अथवा असंधारित अभिलेखों अथवा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट – II में दी गई है।

4. **पूर्ववर्ती लेखा – परीक्षा प्रतिवेदन :–**

अंकेक्षण के दौरान सिर्फ अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 248/2008–2009 अंकेक्षण वर्ष 2006–07 से 2007–08 का अनुपालन प्रतिवेदन, अंकेक्षण दल के अथक प्रयास से तैयार किया गया। इसके पूर्व का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था। अनुपालन प्रतिवेदन के अनुसार कंडिका सं0 1से 12, 13(1), 14 से 18,20,23,27,35,38 व 42 से 43 के निस्तारण की अनुशंसा की जा रही है।

शेष कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना को आवश्यक कार्यार्थ भेजी जाए।

नगर परिषद में लेखा समिति का गठन अब तक नहीं किया गया है। साथ ही प्राधिकारी द्वारा भी लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस कारण प्रतिवेदन सं0248/08–09 के पूर्व की कंडिकाएं लंबित पड़ी हुई थी।

180

अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि लंबित कंडिकओं के शीघ्र अनुपालन हेतु अथक प्रयास किए जाएँ।

5. **प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ :–**

क0 सं0	कंडिका सं0	कंडिका का सार	राशि (लाख रूपये में)
1	6(ख)	ट्रेजरी से विचलन	23.41
2	7(II)	बारहवीं वित्त आयोग के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कम व्यय	18.96
3	7(I)	तीन–चार वर्षो से अनुदान बेकार में रखना/उपयोग नहीं करना	83.04
4	11(क)व (ख)	उपस्करों के कय	
5	12(क)	एकल निविदा/ संवेदक को अधिक भुगतान	1.94
6	13	दैनिक मजदूरों को शीतकालीन वर्दी की आपूर्ति	0.65
7	14(II)	वर्षो पुरानी अग्रिम राशि के सामांजन के पश्चात्र वसूली नहीं	3.11

6. **अधिदृश्य :–**

नगर परिषद में मासिक लेखे, त्रैमासिक लेखे व वार्षिक लेखे संधारित नहीं थें। साथ ही रोकड़ बही में व्यय वर्गीकरण का शीर्ष अंकित नहीं था। इसके अभाव में मदवार आय व व्यय ज्ञात करना कठिन था। फिर भी अंकेक्षण द्वारा मदवार आय व व्यय की विवरणी बनाई गई जो संलग्न है।

इसके अनुसार 31.3.10 को रोकड़ बही का शेष रू0 1,84,04,433.21 होनी चाहिए थी, परंतु रोकड़ बही में शेष रू0 1,83,49,540.21 थी। अंतर राशि 31.3.10 को समाधानित थी।

ट्रेजरी विवरणी के अनुसार 31.3.10 को शेष रू0 1,83,48,885.21 थी। अंतर राशि रू0 55,548 की समाधान विवरण नीचें दी गई है:–

31.3.10 को ट्रेजरी शेष	1,83,48,885.21
जोड़ 23.6.08 की प्राप्ति जो ट्रेजरी में अब तक जमा नही होना	(+) 60,000
घटाव चेक न0 439694 दि0 30.8.08 जो अभुगतेय थी	(–)686
धटाव 31.3.08 तक की अभुगतेय चेक राशि	(–)3,766
	1,84,04,433.21

इस प्रकार शेष समाधानित थी।

विविध रसीद सं0 972 दि0 23.6.08 द्वारा एयर सेल कम्पनी, खगड़ीया द्वारा टावर लगाने हेतु बैक ड्राफट सं0 519477 दि0 09.06.08 द्वारा राशि रू0 60,000 जमा की थी। रोकड़पाल द्वारा 23.06.08 को ही ड्राफट ट्रजरी में जमा किया गया था। परंतु उक्त राशि 31.03.10 तक ट्रेजरी में जमा नहीं पाई गई।

अतः ट्रेजरी से पत्राचार कर उक्त राशि नगर परिषद निधि में जमाकर अगले अंकेक्षण दिखाया जाए।

अधिदृश्य (लेखापाल की रोकड़बही का) विवरणी

क0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10
1.	प्रारम्भिक शेष	82,74,423.21	1,97,92,256.21
2.	प्राप्ति		
(क)	अनुदान	–	–
(i)	वेतन	14,45,400	–
(ii)	मैचिंग अनुदान	23,99,000	27,37,046
(iii)	पार्षदों का भत्ता	1,28,400	1,28,400
(iv)	12th F.C	10,06,707	38,14,286
(v)	नाला निर्माण	36,82,000	-----
(vi)	सड़क निर्माण	39,83,083	-----
(vii)	पोखर/घाट/ जलाशय	21,76,510	-----
(viii)	विधान पार्षद(चापाकल)	1,40,576	------
(ix)	सांसद निधि	1,00,000	------
(x)	कम्प्युटरीकरण हेतु	2,50,000	------
	कुल	1,53,11,676	66,79,732
(ख)	कबीर अत्येष्टि	1,95,000	------
(ग)	स्वंय के स्त्रोतो से आय	56,73,981	48,76,379
	कुल प्राप्ति(क+ख+ग)	2,11,80,657	1,15,56,111
3.	**कुल प्राप्ति(1से 2)**	**2,94,55,080.21**	**3,13,48,367.21**
4.	**व्यय**	**वर्ष 2008–09**	**वर्ष 2009–10**
(i)	बारवहीं वित्त आयोग	14,69,491	5,58,915
(ii)	नाला निर्माण	-----	10,01,187
(iii)	सड़क निर्माण	-----	26,54,053
(iv)	सांसद निधि	1,00,000	-----
(v)	कम्प्युटरी करण पर	-----	2,38,461
(vi)	पार्षदो का भता	90,600	1,33,200
(vii)	मैचिंग अनुदान से योजना	-----	93,883
(viii)	B. R. G. F. पर	------	15,60,542
(ix)	I.D.S. M.T	-----	7,80,732
(x)	कबीर अंत्यष्टि	22,500	------
(xi)	स्थापना व्यय	79,80,233	59,22,961
	कुल	96,,62,824	1,29,43,934
5.	अंत शेष (3-4)	1,97,92,256.21	1,84,04,433,.21

178

6(क) संव्यवहार

लेखा पाल की रोकड़ बही के अतिरिक्त नगर परिषद में दो अन्य रोकड़ बही संधारित थी।

I. B.R.G.F.

क्र0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10
1.	प्रारम्भिक शेष	शून्य	54,03,740
2.	प्राप्ति		
(क)	अनुदान	52,94,350	76,81,860
(ख)	व्याज	1,09,390	2,42,032
	कुल	54,03,740	79,23,892
3.	कुल प्राप्ति (1+2)	54,03,740	1,33,27,632
4.	योजना पर व्यय	शून्य	7,65,958
5.	अंतशेष	54,03,740	1,25,61,674

इसकी राशि SBI खगड़िया बाजार के SB A/C 30350724894 में रखी गई थी जिसका 31.03.10 को शेष 1,25,61,674 था। शेष समाधानित था।

II. I.D.S. M. T व S.J.S.R.Y

क्र0 सं0	विवरण	2008–09	2009–10
1.	प्रारम्भिक शेष	9,31,446.42	1,30,30,687.42
2.	प्राप्ति		
(क)	I.D.S.M.T	1,17,80,000	–
(ख)	S.J.S.R.Y	———	42,80,779
(ग)	व्याज	3,25,845	5,22,493
	कुल	1,21,05,845	48,03,272
3.	कुल प्राप्ति	1,30,37,291.42	1,78,33,959.42
4.	व्यय		
(क)	I.D.S.M.T	———	1,14,102
(ख)	S.J.S.R.Y	———	2,50,000
(ग)	अन्य	6,604	———
	कुल –	6,604	3,64,102
5.	अंत शेष	1,30,30,687.42	1,74,69,857.42

इसकी राशि SBI, खगड़िया के SB A/C 11068093598 में रखी गई थी जिसका 31.03.10 की शेष 1,74,69,857.42 रू थी। शेष समाधानित था।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 2,50,000 चेक सं0 0925130 दि0 26.02.10 द्वारा सचिव लिच्छवी खगड़िया को इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु अग्रिम दी गई थी।

6.(ख) लेखापाल की रोकड़ बही / ट्रेजरी से विचलन रू 23,41,274/–

लेखापाल की रोकड़ बही की नमूना जांच में पाया कि I.D.S.M.T तथा B.R.G.F की योजना का भुगतान रू0 23,41,274 ट्रेजरी से किया गया था। जबकि इस निधि की राशि ट्रेजरी में न रखकर बैंक में रखी गई थी, विवरण नीचे है:–

I **I.D.S.M.T-** नगर विकास व आवास विभाग के पत्रांक 418 दि0 30.04.08 द्वारा लधु एंव मध्यम शहरों की समेकित विकास योजनान्तर्गत रू 1,17,80,000 माह मई 2008 में प्राप्त हुई थी जिसे SBI खगड़िया के SB A/C 11068093598 में जमा की गई थी ।

इस राशि से वर्ष 09–10 में एक मात्र योजना, सं0 2/09–10 वार्ड सं0 23 अंर्तगत महात्मा गांधी रोड़ से निरंजन चौधरी के घर तक सड़क व नाला निर्माण की योजना (प्रा0 राशि रू0 8,19,700/–) ली गई थी । योजना 2009–10 में पूर्ण हुई थी । इसके संवेदक श्री भानू प्रताप सिंह थें। परंतु भुगतान की गई राशि रू0 7,80,732 ट्रेजरी से की गई थी। विवरण नीचे है:–

क0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	व्यय राशि
1	38	18.08.09	7,04,875
2	89	24.02.10	40,576
3	92	23.03.10	32,461
4	22	09.07.09	2,820
		कुल	रू0 7,80,732

II. B.R.G.F:-

B. R. G. F. की योजना हेतु प्राप्त राशि को SBI खगडिया बाजार शाखा के SB A/C 30350724894 में रखी गई थी । परंतु इसके अंतर्गत ली गई योजना का भुगतान ट्रेजरी से किया गया था। विवरण नीचे है:–

क0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	व्यय राशि
1	6	25–05–09	2,820
2	9	11–06–09	15,21,424
3	42	08–09–09	1,470
4	92	23–03–10	34,828
		कुल	15,60,542

(176)

अतः राशि रू0 23,41,274 (रू0 780732+रू0 15,60,542) का चेक उपरोक्त दोनो निधि से काटकर ट्रेजरी में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए साथ ही भविष्य में ऐसी अनियमितता को रोकने का प्रयास किया जाय ।

7. सरकारी अनुदान :–

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नगर परिषद में नही किया गया था। इसके अभाव में अंकेक्षण वर्ष में प्राप्त अनुदान की राशि व्ययित राशि तथा अव्ययित राशि ज्ञात नही की जा सकती। अतः अनुदान पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण किया जाए तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

हालॉकि लेखापाल की रोकड़ बही, B.R.G.F व I.D.S.M.T की रोकड़ बही का नमूना जॉच के आधार पर पाया गया कि दिनांक 01.04.08 को अव्ययित अनुदान राशि रू0 81,82,650 थी, वर्ष 08–09 व 09–10 में कुल राशि रू0 5,13,79,819 प्राप्त हुई थी अर्थात्र कुल अनुदान की रशि रू0 5,95,62,469 थी। वर्ष 08–09 व 09–10 में रू0 1,13,46,440 व्यय हुई थी तथा 31.03.10 को अव्ययित अनुदान राशि रू0 4,82,16,029 थी।

(विस्तृत विवरणी विवरण सं0 I पर)

I. पुरानी अनुदान राशि का बेकार पड़ा रहना :– संलग्न विवरण से स्पष्ट है कि निम्न अनुदान वर्षो से अव्ययित पड़ी हुई थी

क0सं0	अनुदान का नाम	अव्ययित अनुदान की राशि	राशि कब से पड़ी है
1.	एकादश वित	70,108	वर्ष 2006–07 से
2.	सफाई उपकरण	25,291	07–08 से
3'.	प्रशासनिक भवन निर्माण	38,79,075	01–'06–07 से
4.	चापाकल(विधायक अनुशंसित)	20,12,400	31–03–08 से
5.	पोखर/धाट/जलाशय	21,76,510	31–03–09 से
6.	चापाकल(विधान पाषद)	1,40,576	28–04–08 से
7	**कुल रू0**	**83,03,960**	

अगर उपरोक्त अनुदान राशियों की उपयोगिता न हो तो इसे सरकार को वापस कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

II. बारहवी वित्त आयोग

बारहवीं वित्त आयोग के अर्न्तगत प्राप्त राशि व व्यय का व्योरा शीर्षवार नीचे दिया गया है:–

व्यय राशि

क0 सं0	वर्ष	प्राप्त राशि	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर	नागरिक सेवाओं पर	ई– गवर्ननेन्स	प्रशिक्षण	कुल व्यय
1.	05–06 से 07–08	36,32,604	–	22,86,175	–	–	22,86,175
2.	08–09	10,06,707	2,61,371	11,16,930	91,190	–	14,69,491
3.	09–10	38,14,286	–	5,58,915	–	–	5,58,915
	कुल –	**84,53,597**	**2,61,371**	**39,62,020**	**91,190**	शुन्य	**43,14,581**

बारहवीं वित्त आयोग की मार्गदर्शिका के अनुसार प्राप्त राशि का 50% ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर 46% राशि नगरिक सेवाओं के संधारण पर 3% राशि ई– गवर्ननेन्स पर तथा 1% राशि प्रशिक्षण पर व्यय करना था।

परंतु व्यय राशि 43,14,581 रू0 में मात्र रू0 2,61,371 का ही व्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किया गया था अतः रू0 18,95,920 की राशि का कम व्यय किया गया। कम व्यय का कारण अगले अंकेक्षण में बताया जाए।

III. उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्राप्त अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण – पत्र अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया। इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

IV. विचलन :–

दिनांक 31.03.10 को अव्ययित अनुदान की राशि लेखापाल की रोकड़ बही के अनुसार रू0 2,14,49,605 थी इसमें से BRGF व IDSMT की योजना पर व्यय राशि रू0 23,41,274 को घटाने पर राशि रू0 1,91,08,331 होती है। परंतु 31.03.10 को रोकड़ बही का शेष रू0 1,84,04,433.21 थी अतः न्युनतम रू0 7,03,898 का विचलन किया गया था। अनुदान पंजी के संधारण नहीं होने से निधि की जानकारी ज्ञात नहीं की जा सकी तथा इसके संधारण के अभाव में ही विचलन किया गया था।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर इस विचलन की प्रतिपुर्ति की जाए तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

8. कम/ नहीं जमा (रू0 3,849)

निम्न दो कर संग्राहकों द्वारा एच0 रसीद से राशि 17,123.12 रू0 की वसूली की गई थी परंतु इसके विरूद्ध नगर परिषद निधि में मात्र 13,274.04 रू0 ही जमा किए गये थे तथा शेष राशि रू0 3,849 जमा नहीं किए गये थे। हालांकि, आपत्ति निर्गत किए जाने के पश्चात् दोनों के द्वारा राशि रू0 3,849 जमा कर दी गई। विवरण नीचे दिया गया है।

क0 सं0	एच0 रसीद सं0	संग्रहण की तिथि	संग्रहित राशि	जमा की गई राशि	कम/नहीं जमा राशि	कर संग्राहक नाम (सर्व श्री)
1	6805	29.06.10	1,454.12	1,154.12	300	अमरेन्द्र कुमार
2	6270	28.04.10	2,392	23.92	2,368.08	मणि भूषण सिंह
3	6301 से 6329	13.05.10 से 26.05.10	12,996	12,096	900	– वही –
4	8899	10.01.2011	281	शून्य	281	– वही –
		कुल –	17,123.12	13,274.04	3,849.08	

श्री मणि भूषण सिंह द्वारा राशि रू0 3,549 विविध रसीद सं0 2463 दि0 19.02.2011 द्वारा तथा श्री अमरेन्द्र कुमार द्वारा राशि रू0 300 विविध रसीद सं0 2464,दिनांक 19.02.2011 द्वारा जमा कर दी गई थी।

9. **मॉग एंव वसूली**

नगर परिषद करों जैसे – मकान कर, शौचालय कर एवं जलकर से संबद्ध मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण अंकेक्षण अवधि में नहीं दिखलाया गया, इसके अभाव में मॉग, बकाया एवं वसूली की राशि की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण में ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी नगर परिषद के प्रभारी कर दरोगा द्वारा उपलब्ध कराए गए आकड़ों के अनुसार वर्ष 2008–09 तथा 09–10 तक की नगर परिषद खगड़िया की कर की वर्ष वार मॉग, वसूली एंव बकाया राशि की स्थिति इस प्रकार है –

क्र0 सं0	वर्ष	पिछले वर्ष का बकाया	वर्ष की मॉग	कुल मॉग	कुल वसूली	वर्ष के अन्त में बकाया राशि
1	2008–09	15,60,807	10,29,231	25,90,038	14,42,059	11,47,979
2	2009–10	11,47,979	11,90,974	23,38,953	15,38,598	8,00,355

अंकेक्षण टिप्पणी –

(1) 31.03.10 तक का कुल बकाया राशि रू0 8,00,355 वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(2) कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण प्राथमिकता के आधार पर तैयार कराया जाए।

9 **(I) सरकारी भवनों पर करों का बकाया**

नगर परिषद, खगड़िया के अन्तर्गत सरकारी भवनों से संबंधित कोई मॉग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया लेकिन प्रभारी टैक्स दारोगा के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल राशि रू0 5,91,951 (31.03.10) को सरकारी भवनों पर करों का बकाया बतलाया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी :–

(1) बकाया राशि रू0 5,91,951 वसूल कर परिषद् निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

(2) मॉग एवं वूसली पंजी का संधारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

9. **(II) स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर के आरोपित नहीं किये जाने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति**

बिहार प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959 तथा बिहार स्वास्थ्य कर नियम, 1972 के अनुसार स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर, होल्डिंग कर का एक निश्चित प्रतिशत के रूप में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर दाताओं से लिया जाना है तथा प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत संग्रहण शुल्क के रूप में काटकर शेष राशि राज्य सरकार के संबंधित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना है। परंतु शिक्षा तथा स्वास्थ्य कर का करारोपण इस नगर परिषद द्वारा आरम्भ से ही नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को रू0 26,74,078 तथा नगर परिषद को रू0 2,97,120 राजस्व की क्षति 06–07 से 09–10 के बीच हुई।

नगर परिषद द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर होल्डिंग कर की वसूली का विवरण निम्न है। –

क्र0 सं0	अवधि	वसूला गया होल्डिंग कर	स्वास्थ्य कर @50% होल्डिंग कर	शिक्षा कर @50% होल्डिंग कर	कुल राशि
1	2006–07 से 07–08	18,04,853	9,02,426.50	9,02,426.50	18,04,853
2	2008–09	5,64,284	2,82,142	2,82,142	5,64,284
3	2009–10	6,02,060	3,01,030	3,01,030	6,02,060
	कुल –	29,71,197	14,85,598.50	14,85,598.50	29,71,197
(अ)	संग्रहण शुल्क @ 10% के रूप में नगर परिषद को क्षति		1,48,560	1,48,560	2,97,120
(ब)	राज्य सरकार को क्षति		13,37,039	13,37,039	26,74,078

अतः राजस्व क्षति की राशि रू0 29,71,197 की वसूली संबंधित दोषी पदाधिकारी/कर्मी से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. मांस – मछली बाजार की वर्ष 2009–10 की बंदोबस्ती मं राशि 51,250 रू0 की कम वसूली

नगर परिषद् में बंदोबस्ती पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालांकि बंदोबस्ती संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि मांस – मछली बाजार की वर्ष 2009–10 की बंदोबस्ती श्री अमित कुमार, खगड़िया के साथ राशि रू0 3,50,100 में की गई थी। बंदोबस्तदार द्वारा जमानत राशि रू0 23,800 तथा आधी डाक राशि रू0 1,75,050 दिनांक 27.03.09 को जमा की गई थी। इसके पश्चात् दिनांक 27.10.09 को रू0 50,000 दिनांक 30.01.10 को रू0 25,000 तथा दिनांक 17.03.10 को रू0 25,000 अर्थात कुल राशि रू0 2,98,850 ही जमा की गई थी।

कार्यादेश के अनुसार दिनांक 30.09.09 तक डाक की शेष आधी राशि जमा नहीं करने पर बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। परंतु 30.09.09 तक राशि जमा नहीं करने पर भी बंदोबसती रद्द नहीं की गई।

साथ ही बंदोबस्ती रद्द नहीं करने पर राशि रू0 51,250 की भी कम वूसली हो पाई। राशि रू0 51,250 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. (I) फुटपाथ बंदोबस्ती की राशि रू0 24,786 रू0 की संभावित क्षति

फुटपाथ बंदोबस्ती संचिका वर्ष 09–10 के अवलोकन में पाया गया कि मार्च 2009 में आचार संहिता के कारण तत्काल वर्ष 09–10 हेतु बदोबस्ती नहीं किया गया तथा पूर्व के बंदोवस्तदार श्री संजय कु0 यादव को वर्ष 08–09 में बंदोबस्ती राशि रू0 5,02,500 पर ही दि0 18.04.09 को दि0 19.04.09 से दि0 15.06.09 की अवधि के लिए प्रतिदिन की राशि रू0 1,377 पर वसूली हेतु आदेश दिया गया था। बदोबस्तदार ने उक्त अवधि हेतु राशि रू0 79,866 निधि में जमा कर दी थी।

परंतु 01.04.09 से 18.04.09 की अवधि हेतु न ही विभागीय वसूली की गई तथा न ही बंदोबस्तदार से ही वसूली की गई थी। इस प्रकार राशि 24,786 रू0 (18 X 1377) की संभावित क्षति हुई।

172

10. **(II) स्टॉल व फल सब्जी आढ़त की दुकान पर बकाया किराया की राशि**

नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत स्टॉल की संख्या 278 थी तथा फल – सब्जी आढ़त की संख्या 65 थी। इसके मॉग एवं वसूली पंजी के आधार पर दिनांक 31.03.10 को बकाया राशि इस प्रकार थी –

स्टॉल किराया	रू0 4,12,321.00
सब्जी आढ़त दुकान किराया	रू0 7,54,239.00
कुल –	**रू0 11,66,560.00**

इस बकाया राशि को वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10. **(III) बलुआही बस स्टैण्ड का बंदोबस्ती नहीं होना/ विभागीय वसूली करना**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के फैक्स सं0 117 (9) दि0 22.02.08 के साथ विभागीय संकल्प सं0 613 (9) दि0 07.07.06 तथा नगर परिषद खगड़िया के पत्रांक 117 दि0 02.03.08 के अनुसार, समाहरणालय खगड़िया (जिला राजस्व शाखा) के ज्ञापांक 249 दि0 04.03.08 द्वारा बलुआही बस स्टैण्ड, जिसकी सुरक्षित जमा राशि रू0 41,00,900 थी, दि0 01.04.08 की तिथि से नगर परिषद, खगड़िया को स्थानान्तरित की गई थी।

नगर परिषद द्वारा इसकी बंदोबस्ती हेतु डाक की तिथि निर्धारित की गई परंतु वर्ष 08–09, 09–10 व 10–11 की डाक में कोई भी डाक वक्ता उपस्थित नहीं हुए। परिणामस्वरूप इसकी विभागीय वसूली की गई थी तथा वर्ष 08–09 में रू0 16,08,975 तथा वर्ष 09–10 में रू0 15,30,647 की विभागीय वसूली हुई। इसकी वसूली में 4 से 5 दैनिक मजदूरों को पारिश्रमिक पर रखा गया था।

नगर परिषद को हस्तांतरण के पूर्व इसकी वसूली समाहरणालय/ अंचल द्वारा की जा रहीं थी। इनके द्वारा वर्ष 2000–01 से वसूल राशि का विवरण आगे दिया गया है –

क0 सं0	वित्तिय वर्ष	वसूली राशि	अभ्युक्ति
1	2000–01	31,01,000	
2	2001–02	28,50,000	
3	2002–03	28,51,000	
4	2003–04	20,74,204	सरकारी वसूली
5	2004–05	22,51,000	
6	2005–06	10,03,164	विभागीय वसूली
7	2006–07	12,20,097	– वही –
8	2007–08 (15 मार्च 08 तक)	11,72,453	अंचल द्वारा

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2000–01 से आगे के वर्षो में निरंतर वसूली में कमी ही हुई थी फिर किस अधार पर वर्ष 2008–09 की सुरक्षित डाक राशि समाहरणालय द्वारा रू0 41,00,900 रखी गई थी, इतनी बड़ी राशि रखे जाने के कारण कोई भी

डाक वक्ता उपस्थित नही हुआ होगा। अतः सरकारी डाक राशि रखने का आधार स्पष्ट किया जाए तथा एक कमिटी बनाकर इसकी समीक्षा कर डाक राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाए जिससे राजस्व में वृद्धि हो तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

10(IV) वास्तुविद् द्वारा पारित नक्शा

नगर विकास एंव आवास विभाग, पटना के पत्रांक 2998 दि0 22–07–09 द्वारा नक्शा स्वीकृति का कार्य प्रमाणिक वास्तुकारो को दी गई थी। पत्रांक के c(v) के अनुसार नक्शा स्वीकृति के 3 माह या कार्य शुरू करने पर, जो भी पहले हो, के अंदर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन नगर निकाय को भेजेगे।

श्री विजय कुमार, वास्तूविद् द्वारा पारित नक्शा की सूची (31.03.10 तक) नीचे है :–

विविध रसीद सं0	दिनांक	नक्शा शुल्क की राशि	जमीन/भवन मालिक का नाम
1801	11.02.10	2469.00	श्री सत्यनारायन यादव तथा अन्य
1802	20.02.10	1672.00	श्री रघुनन्दन सिंह
1803	24.02.10	2071.00	श्री दिलीप कुमार बजाज तथा अन्य
1804	05.03.10	504.00	श्रीमती रेजु देवी
1805	17.03.10	1909.00	श्रीमती अरूणा देवी
1806	22.03.10	465.00	श्रीमती पिंकी जायसवाल

परंतु वास्तुविद् द्वारा अब तक कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। साथ ही कार्यालय के द्वारा भी नक्शा स्थल की जांच नहीं की गई थी।

अतः कार्यालय द्वारा उक्त स्थल की जांच कर प्रगति प्रतिवेदन से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

11. उपस्करों/सामग्री का क्रय

नगर विकास विभाग के पत्रांक 1909 दि0 27.05.06 द्वारा निर्देशित था कि सफाई संबंधी मशीनों का क्रय, नगर परिषद द्वारा क्रय समिति गठित कर किया जायेगा, जिसमें नगर विकास विभाग के उप सचिव भी सदस्य रहेंगे। पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 678 दि0 01.08.07 द्वारा 'उप–सचिव नगर विकास विभाग' के स्थान पर सम्बंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनित 'ए0डीएम0 के स्तर के पदाधिकारी' सदस्य होंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2079 दि0 11.05.07 द्वारा यह निदेश था कि सामग्रियों/उपस्करों की प्राप्ति के समय उसकी गुणवत्ता को विशेष रूप से ध्यान में रखकर उपयोगी होने पर ही उनका भुगतान किया जाय।

परंतु इसके विरूद्ध नगर परिषद खगड़िया में उपरोक्त पत्रांक के अनुसार कोई क्रय समिति नहीं थी और न है। कुछ उपस्करों के क्रय में सिर्फ सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे तथा कुछ में सिर्फ नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी ही मात्र थे।

(110)

इस प्रकार, सरकारी निर्देशानुसार क्रय समिति गठित किये बिना उपस्करों का क्रय अनियमित था। अधिकांश उपस्करों को अधिक दर पर (दूसरे नगर निकायों की तुलना में) क्रय किया गया जिससे सरकारी राजस्व का दुरूपयोग हुआ था तथा कुछ का क्रय Managed tender के द्वारा किया गया था। इस पर टिप्पणी आगे दी जा रही है:–

(क) श्री जीन इंटर प्राइजेज से क्रय /मैनेज्ड टेंडर/एकल निविदा

I. हाइड्रोलिक टेलर व पम्पिंग सेट का क्रय :–

दो अदद हाइड्रोलिक टेलर (सांसद निधि और नगर परिषद निधि से) के क्रय हेतु दिनांक 28.07.08 को कोटेशन प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 03.08.08 को तुलनात्मक विवरणी तैयार की गई थी जिसमें सिर्फ नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी ही थे। कुल तीन फर्मों श्री जीन इंटर प्राइजेज, खगड़िया, मे0 जगदम्बा मोबिल हाउस, खगड़िया व एक अन्य फर्म से कोटेशन प्राप्त हुआ था श्री जीन इंटर प्राइजेज के अलावा शेष दोनों फर्म का वैट का अद्यतन क्लियरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न नहीं था। अतः तकनीकी बीड में मात्र ' श्री जीन इंटर प्राइजेज, खगड़िया' ही सफल हुआ था। इस प्रकार मामला एकल निविदा का था। नियमतः इसे रद्द करना चाहिए था, परंतु ऐसा न कर अनियमित रूप से श्री जीन इंटर प्राइजेज, खगड़िया को आपूर्ति आदेश दिया गया।

संचिका के अवलोकन में पाया कि श्री जीन इंटर प्राइजेज, S.D.O. रोड, खगड़िया और मे0 जगदम्बा मोबिल हाउस, S.D.O. रोड, खगड़िया के प्रोप्राईटर एक ही व्यक्ति ' श्री संजय कुमार पालड़ीवाल' ही थे। अतः दोनों फर्मों के द्वारा (एक ही मालिक द्वारा) कोटेशन देने से स्पष्ट है कि सिर्फ खानापूर्ति हेतु ही कोटेशन दिया गया था।

पुनः बिना गुणवत्ता जांचे ही फर्म को भुगतान भी कर दिया गया।

भुगतान की विवरणी आगे दी गई है:–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि	सामग्री का नाम	निधि
1	45	27.10.08	2,76,000	दो अदद हाइड्रोलिक टेलर	M.P निधि से 1 लाख रू0 न0प0 निधि से शेष राशि
2	46	– वही–	1,26,890	4 अदद पम्पिंग सेट पाईप सहित	नगर परिषद निधि
		कुल –	4,02,890		

II. 26 सेट चापाकल की क्रय (न0प0निधि से):–

अभिश्रव सं0 61 दि0 09.02.09 द्वारा रू0 3,83,862 का भुगतान, मे0 श्री जीन इंटर प्राइजेज, S.D.O रोड खगड़िया को, चापाकल गाड़ने की सामग्री के क्रय हेतु किया गया था। सामग्री 17.01.09 को प्राप्त हुई थी।

इस हेतु श्री जीन इंटर प्राइजेज, S.D.O. रोड खगड़िया मे0 जगदम्वा मोबिल हाउस, खगड़िया व प्रमोद इंटर प्राइजेज, खगड़िया से कोटेशन प्राप्त हुई थी जिसमें से श्री जीन इंटर प्राइजेज, खगड़िया को छोड़कर बाकी दोनों फर्म द्वारा वैट क्लियरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न नहीं था। मामला फिर एकल निविदा का था। साथ ही खानापूर्ति हेतु ही कोटेशन फर्मों द्वारा दी गई थी। इसके क्रय में भी सिर्फ कार्यपालक पदाधिकारी और नगर सभापति ही थे। कार्यादेश 02.01.09 को निर्गत की गई थी। चापाकल प्राप्ति की

भंडार पंजी को अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया, साथ ही सभी 26 सेट की गड़ाई के सम्बंध में 31.03.10 तक कोई भी राशि व्यय नहीं हुई थी।

इस प्रकार सभी चापाकल बिना उपयोग के ही पड़ा हुआ था तथा इसका कारण अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः पूरे मामले की जॉच कर उसके फलाफल से स्थानीय लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

11. **(ख) बारहवीं वित्त आयोग से क्रय व अधिक भुगतान**

हाथ ठेला कूड़ा गाड़ी, वाटर टैंकर, जेनरेटर व CFL सेट के क्रय हेतु दिनांक 13.02.08 को विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 08.04.08 को सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा तुलनात्मक विवरणी तैयार कर क्रय हेतु दिनांक 12.04.08 को आपूर्ति आदेश निर्गत की गई थी। क्रय सामग्री तथा इस पर व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	फर्म को भुगतान की गई राशि	फर्म का नाम	उपस्कर का नाम
1	10	21.05.08	2,04,000	श्री जीन इंटर प्राइजेज खगड़िया	30 अदद हस्तचालित कूड़ा ठेला गाड़ी रू0 7650 प्रति अदद (12.5 प्रतिशत वैट सहित) वैट की राशि का भुगतान रू0 25,500 मार्च 09 में
2	20	02.07.08	1,25,000	– वही –	वाटर टैंकर 4000 लीटर का 1 अदद (12.5 प्रतिशत वैट सहित कीमत 1,40,625 रू0) वैट का भुगतान मार्च, 09 में
3	37	18.09.08	95,000	मे0 के0पी0 एंड संस, सहरसा	10 K.V.A. जेनरेटर (12.5 प्रतिशत वेट सहित कीमत रू0 1,06,875) वैट मार्च, 09 में भुगतान
4	53	03.12.08	7,20,300	– वही –	150 सेट 85 वाट CFL सेट की आपूर्ति व अधिष्ठापन प्रति सेट रू0 4,900 (12.5 प्रतिशत वैट सहित कीमत रू0 5512.50) वैट मार्च, 09 में भुगतान

अंकेक्षण टिप्पणी :-

I. **एकल कोटेशन जेनरेटर का:-** 10 K.V.A. जेनरेटर के क्रय हेतु मात्र एक ही निविदा मे0 के0पी0एंड संस, सहरसा द्वारा ही प्राप्त थी। एकल निविदा के कारण नियमतः इसे रद्द कर पुर्ननिविदा करनी चाहिए थी। परंतु ऐसा नहीं किया गया। कारण भी अंकेक्षण में नहीं बताया गया। साथ ही प्राप्त जेनरेटर के बिना गुणवत्ता जांच के ही भुगतान किया गया था। अतः राशि रू0 1,06,875 का अनियमित भुगतान हुआ।

II. **CFL सेट की न्यूनतम दर वाले क्रय न कर अधिक भुगतानः-**

85 वाट CFL सेट की आपूर्ति हेतु प्राप्त कोटेशन की विवरण नीचे है:-

क0 सं0	फर्म का नाम	निविदित दर (12.5 प्रतिशत वैट रहित)
1	मे0 जगदम्बा मोबिल हाउस, खगड़िया	2,800
2	अमन इंटर प्राइजेज, पटना	3,525

168

3	राहुल इलेक्ट्रीक, खगड़िया	4,490
4	के0पी0एण्ड संस, सहरसा	4,900

निविदित दर के अनुसार न्यूनतम दर रू0 2,800 मे0 जगदम्बा मोबिल हाउस, खगड़िया की थी। परंतु अधिकतम दर दाता मं0 के0पी0एंड संस, सहरसा जिसका दर 4,900 रू0 वैट रहित था को आपूर्ति आदेश दिया गया था। मे0 जगदम्बा मोबिल हाउस, खगड़िया को आपूर्तिदेआदेश नहीं देने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। इस प्रकार रू0 2100/– प्रति सेट (रू0 4900– रू0 2800) की दर से कुल रू0 3,15,000/– का अधिक भुगतान हुआ।

III विलोपित

IV. हस्तचालित कूड़ा ठेला के क्रय में अधिक भुगतानः–

नगर परिषद, नरकटियागंज के पत्रांक 12 दि0 22.01.09 द्वारा मेसर्स संगम इंजीनियरिंग वर्क्स, मुजफ्फरपुर को 30 हाथ ठेला की आपूर्ति आदेश रू0 5,311 प्रति अदद सभी करों सहित दी गई थी। परंतु इसी अवधि के छह माह पूर्व नगर परिषद खगड़िया द्वारा आपूर्ति आदेश प्रति अदद रू0 7,650 वैट सहित दिनांक 12.04.08 को दी गई थी। इसके 18 माह पश्चात् इसी जीन इंटर प्राइजेज द्वारा 7,450 वैट सहित की दर दी गई थी जिस पर क्रय फरवरी 2010 में नगर परिषद निधि से किया गया था। इस प्रकार श्री जीन इंटर प्राइजेज द्वारा मार्च – अप्रिल 2008 में दी गई दर अत्याधिक थी। संगम इंजीनियरिंग वर्क्स, मुजफ्फरपुर की तुलना में प्रति अदद दर रू0 2,339 (7650 –5311) अधिक थी तथा कार्यालय की मिलीभगत से फर्म को रू0 70,170 (2339 X 30) का अधिक भुगतान किया गया था। इन सभी क्रय की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई कर स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

11. (ग) क्रय उपस्करों की भंडार पंजी अप्रस्तुत/बिना गुणवत्ता जांचे भुगतान

नगर परिषद निधि से निम्न सफाई उपकरणों की, दिनांक 30.10.09 को सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा, क्रय हेतु आपूर्ति आदेश निम्न फर्मों को दी गई थी। विवरण नीचे है:–

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि	फर्म का नाम	उपस्कर का नाम	अभ्युक्ति
1	69	18.11.09	3,26,923	मे0 प्रकाश ट्रेडर्स, खगड़िया	महिन्द्राशान ट्रैक्टर 25 H.P 2 सिलिण्डर वाला	निबंधन अभी तक नहीं किया गया
2	79	04.02.10	2,63,000	मे0 मौर्या ऑटो एजेन्सी, खगड़िया	2 अदद पियाजियों हाइड्रोलिक हूपर टेम्पू	– वही –
	95	23.03.10	2,62,000			
3	81	10.02.10	1,25,000	श्री जीन इंटर प्राइजेज, खगड़िया	30 अदद हस्तचालित कूड़ा ठेला गाड़ी (रू0 7,450 सभी कर संहित प्रति अदद)	
	94	23.03.10	98,500			
		कुल –	10,75,423			

बिना गुणवत्ता जांचे ही फर्मों को भुगतान भी कर दी गई थी। अंकेक्षण में इसकी भंडार पंजी को भी प्रस्तुत नहीं किया गया। ट्रैक्टर व टेम्पू का अभी तक निबंधन भी नहीं कराया गया था। क्रय भी क्रय समिति (विभाग के निदेशानुसार) द्वारा नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त की स्पष्टीकरण तक व्यय राशि रू0 10,75,423 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

12. योजना

नगर परिषद में कोई भी योजना पंजी संधारित नहीं थी और न ही निधिवार संचिका संधारित थी। इसके अभाव में किस निधि द्वारा कितनी योजनाएँ शुरू की गई थीं तथा उसमें कितनी पूर्ण हुईं तथा कितनी अपूर्ण थी, इसे अंकेक्षण में ज्ञात नहीं किया जा सका।

अतः प्रत्येक निधि से ली गई योजना हेतु योजना पंजी का संधारण किया जाए तथा इसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

हालॉकि, लेखापाल की रोकड़ बही, बी0आर0जी0एफ0 की रोकड़ बही तथा इसके अभिश्रवों की नमूना जॉच के आधार पर योजनाओं की स्थिति निम्नवत थी (अंकेक्षण अवधि की) :–

वर्ष 2008–09

क्र0 सं0	निधि का नाम	शुरू योजना की सं0	पूर्ण योजना की सं0	अपूर्ण योजना की सं0	योजना की सं0 जिसकी स्थिति ज्ञात नहीं की गई
1	सड़क निर्माण	9	5	–	4
2	नाला निर्माण	6	1	1	4
3	बारहवीं वित्त आयोग	4	2	–	2
4	B.R.G.F.	5	1	1	3
5	I.D.S.M.T.	1	1	–	–
6	मैचिंग अनुदान	2	1	–	1
	कुल –	27	11	2	14

वर्ष 2009–10 में कोई भी योजना नहीं ली गई थी। वर्ष 2008–09 में शुरू 27 योजनाओं में से मात्र 11 योजनाएँ ही 31.03.10 तक पूर्ण थी तथा 2 योजनाएँ अपूर्ण थीं। शेष 14 योजनाओं की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। अतः इन 14 योजनाओं की स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

वर्ष 2008–09 से पूर्व की योजना पंजी संधारित नहीं रहने से पूर्व की योजनाओं की स्थिति अंकेक्षण में ज्ञात नहीं की जा सकी। सिर्फ बारहवीं वित्त आयोग की वर्ष 2007–08 की योजना सं0 2/07–08 ही वर्ष 08–09 में भौतिक रूप से पूर्ण थी। शेष की स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी, इसे अगले अंकेक्षण में अवगत कराया जाए।

166

योजना संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा एकल निविदा प्राप्त योजना में भी एकल संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया गया जो अनियमित था। साथ ही लेखापाल द्वारा अधिकांश योजनाओं की गणना में गलती कर संवेदक को अधिक भुगतान किया गया था। इस पर टिप्पणी आगे दी गई हैः--

12. **(क) एकल निविदा/संवेदक को अधिक भुगतान/योजना का अधूरा रहनाः--**

योजना सं0	08/08-09 (B.R.G.F.)
योजना का नाम	वार्ड नं0 24 में अनुपम निकेतन स्कूल से अधोरी (बूढ़ी गंडक तक) सड़क व नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 16,88,500

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 04.10.2008 को निविदा निकाली गई थी। जिसमें एक मात्र संवेदक श्री गौतम यादव, बलुआही, खगड़िया ने ही निविदा डाली थी। जिनकी दर प्राक्कलित राशि ही थी। चूँकि एकल निविदा थी, अतः इसे रद्द कर पुनः निविदा निकालनी चाहिए थी, परंतु ऐसा न कर कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद व कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगड़िया द्वारा 20.01.2009 को श्री गौतम यादव के पक्ष में ही निविदा को सफल घोषित कर दि0 12.02.09 को कार्यादेश निर्गत कर दिया।

संवेदक द्वारा प्रथम चालू विपत्र रू0 15,21,424 की प्रस्तुत की गई जिसमें से रू0 15,21,424 का भुगतान संवेदक को अभिश्रव सं0 9 दिनांक 11.06.09 द्वारा किया गया था। भुगतान करने के पूर्व संवेदक के बिल से निम्न करों की कटौती नहीं की गई थी।

वैट	रू0 60,857
आयकर	रू0 34,475
खनन कर	रू0 22,631
सुरक्षित जमा	रू0 76,071
कुल –	**रू0 1,94,034**

इस प्रकार संवेदक को राशि रू0 1,94,034 का अधिक भुगतान किया गया था दिनांक 24.08.09, 18.12.09 व 22.08.10 को संवेदक को राशि जमा करने हेतु पत्र दिया गया, परंतु राशि आज तक जमा नहीं हुई, साथ ही योजना भी आज तक अपूर्ण थी। अतः कार्यालय की लापरवाही से एकल निविदा होने पर भी कार्यादेश निर्गत किया गया तथा संवेदक को राशि रू0 1,94,034 का अधिक भुगतान भी किया गया। अतः राशि 1,94,034 रू0 की वसूली संवेदक अथवा कार्यालय के दोषी लेखापाल अथवा कार्यपालक पदाधिकारी से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए तथा राशि रू0 13,27,390 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन तब तक रखा जाता है जब तक कि एकल निविदा स्वीकार करने का कारण अगले अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया जाय।

12. **(ख) अनियमित कार्यादेश निर्गत करना/ संवेदक को अधिक भुगतान**

योजना सं0	15/08-09 (पथ निर्माण)
योजना का नाम	वार्ड नं0 14 अंतर्गत स्व0अवध नारायण वर्मा के घर से सरोजनी देवी के घरतक सड़क निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 4,34,155

उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु दो संवेदक द्वारा निविदा दी गई थी, जिसकी दर नीचे दी गई है।

नजीर इंटर प्राइजेज	0.2 प्रतिशत कम दर पर
धर्मेन्द्र कुमार	5 प्रतिशत कम दर पर

तकनीकी बीड में दोनों संवेदक सफल थे, परंतु कार्यादेश नजीर इंटरप्राइजेज को दिया गया था। इसका एकरारनामा राशि प्राक्कलित राशि ही थी अर्थात् रू0 4,34,155 नजीर इंटर प्राइजेज द्वारा रू0 4,26,135 का कार्य किया गया तथा यही राशि भुगतान भी की गई थी (करों की कटौती कर)। परंतु भुगतान करने के समय 0.2 प्रतिशत कम दर अर्थात रू0 852 की कटौती नहीं की गई थी और यह राशि संवेदक को भुगतान कर दी गई थी जो अधिक भुगतान थी। हालांकि आपत्ति निर्गत करने के पश्चात संवेदक द्वारा राशि रू0 852 विविध रसीद सं0 2483 दि0 28.02.11 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दी गई।

दूसरी ओर, दूसरे संवेदक श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिनकी दर 5 प्रतिशत कम थी को कार्यादेश निर्गत नहीं करने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया। इन्हें कार्यादेश निर्गत नहीं करने से सरकारी राजस्व की राशि रू0 20,455 (21,307 –852) का अधिक भुगतान कार्यालय की लापरवाही से हुआ। यह सरकारी धन का दुरूपयोग था। अतः श्री धर्मेन्द्र कुमार को कार्यादेश निर्गत नहीं करने का कारण अगले अंकेक्षण में बताया जाए साथ ही रू0 20,455 की वुसली दोषी पदाधिकारियों/ कर्मियों से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

12. **(ग) एकल निविदा/ संवेदक को अधिक भुगतान**

योजना सं0	05/08–09 (बारहवीं वित्त आयोग)
योजना का नाम	वार्ड नं0 17 अंतर्गत नजमून खातून घर से जय मेडिकल तक नाला, स्लैब, सड़क निर्माण
प्राक्कलित राशि	रू0 3,22,540
संवेदक का नाम	मे0 मॉ वैष्णो कंस्ट्रक्शन, खगड़िया

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) एकल निविदाः– इस योजना हेतु मात्र एक ही संवेदक ने निविदा दी थी। एकल निविदा होने के कारण इसे रद्द कर पुनर्निविदा करनी चाहिए थी। परंतु कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा दिनांक 20.01.2009 को निविदा स्वीकृत कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया था। एकल निविदा के कारण अनियमित कार्यादेश निर्गत किया गया था। इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

(ii) अधिक भुगतानः– संवेदक द्वारा रू0 3,22,540 का विपत्र दिया गया था जिसमें से करों की कटौती रू0 39,969 कर रू0 2,84,571 (03.07.09 व 11.11.09 को) संवेदक को भुगतान की गई थी। इस प्रकार रू0 3,22,540 के विरूद्ध रू0 3,24,540 भुगतान हुई अतः राशि रू0 2,000 अधिक भुगतान की गई थी।

164

पुनः कार्य की राशि रू0 3,22,540 की वैट की राशि 4 प्रतिशत अर्थात रू0 12,902 के विरूद्ध मात्र रू0 11,168 कटौती की गई थी। इस प्रकार रू0 1,734 का अधिक भुगतान संवेदक को कर दिया गया।

अतः अधिक भुगतान की राशि 3,734 रूपये थी। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् रू0 3,734 विविध रसीद सं0 2477 दि0 28.02.11 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया।

अनियमित कार्यादेश का कारण अगले अंकेक्षण में बताया जाए।

12. (घ) वैट की कटौती नहीं करना (नाला निर्माण की योजना)

योजना सं0	14/08–09
प्रा0 राशि	रू0 4,38,112
योजना का नाम	वार्ड सं0 18 अंतर्गत जिला परिषद कार्यालय से लक्ष्मी सिनेमा घर तक PCC सड़क सह नाला निर्माण।
संवेदक का नाम	नजीर इंटर प्राइजेज, खगड़िया
कार्य की राशि	रू0 4,38,112

उक्त योजना में संवेदक के बिल से 4% वैट की राशि रू0 17,524 की कटौती न कर संवेदक को भुगतान कर दी गई थी। भुगतान की तिथि 16.11.09 थी। अतः राशि रू0 17,524 का अधिक भुगतान संवेदक को किया गया था। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् संवेदक द्वारा राशि रू0 17,524 विविध रसीद सं0 2483 दि0 28.02.2011 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा कर दी गई थी।

12. (ङ) संवेदक को अधिक भुगतान

योजना सं0	7/08–09 (पथ निर्माण की योजना)
प्राक्कलित राशि	रू0 10,99,214
योजना का नाम	वार्ड सं0 20 अंतर्गत महात्मा गांधी पथ में सड़क, नाला, निर्माण
संवेदक का नाम	श्री भानू प्रताप सिंह, खगड़िया
कार्य की राशि	रू0 11,00,471
करों की कटौती की गई राशि	रू0 1,41,318
भुगतान की गई राशि	रू0 9,59,160 (03.07.09 व 18.08.09) को

इस प्रकार संवेदक को राशि रू0 1,264 का अधिक भुगतान किया गया। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात् संवेदक द्वारा राशि रू0 1,264 विविध रसीद सं0 2475 दि0 25.02.2011 द्वारा अंकेक्षण के दौरान जमा की गई थी।

13. दैनिक मजदूरों को शीतकालीन वर्दी की आपूर्तिकर राशि रू0 64,500 की राजस्व की क्षति

नगर परिषद खगड़िया के बोर्ड की बैठक दिनांक 27.08.2009 के प्रस्ताव संख्या अन्यान्य 10 द्वारा नगर परिषद के कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को शीतकालीन पोशाक की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया।

ज्ञात हो कि उस समय नगर परिषद में मात्र 13 चतुर्थवर्गीय कर्मी ही कार्यरत थे। परंतु मेसर्स जैन उल हाउस, खगड़िया को पत्रांक 833 दि0 11.11.2009 द्वारा रू0 860 प्रति अदद की दर से 88 अदद उनी कोट का आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया फर्म

को अभिश्रव सं0 71 दि0 14.12.2009 द्वारा 88 उनी कोट की राशि 75,680 रूपये में से 4% वैट काटकर रू0 72,653 भुगतान कर दिया गया था। वैट की राशि रू0 3,027 मार्च 2010 में वणिज्यकर कार्यालय को प्रेषित की गई थी।

कार्यालय से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली की शेष 75 उनी कोट (13 कोट नियमित कर्मी को छोड़कर) जिसकी राशि रू0 64,500 होती है, को दैनिक मजदूरों को दिया गया। जबकि वर्दी की आपूर्ति दैनिक मजदूरों को करने का प्रावधान नहीं है। अतः रू0 64,500 राजस्व की क्षति हुई।

अतः रू0 64,500.00 की क्षति की वसूली संबंधित व्यक्तियों से की जाय अन्यथा इसे सरचार्ज की तहत वूसली की प्रावधान किया जायगा।

13. **(I) दैनिक सफाई मजदूरों को भुगतान**

नगर परिषद् खगड़िया में सफाई मजदूर का 69 पद स्वीकृत है तथा अंकेक्षण अवधि में 63 पद रिक्त थे। परंतु नगर परिषद में 63 मजदूरों के विरूद्ध नियमित रूप से अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2009 तक 69 से 78 मजदूरों को प्रतिमाह रखा गया था। सरकार द्वारा दैनिक पारिश्रमिक पर मजदूरों को रखने पर पावंदी भी लगाई गई है, परंतु इसके विरूद्ध यहॉ दैनिक मजदूरों को रखा गया था जो अनियमित है। साथ ही अगर आवश्यकता हो तो 63 मजदूरों के नियोजन हेतु सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। भुगतान का विवरण :-

क0 सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	भुगतान की गई राशि	माह का नाम	प्रतिमाह मजदूरों की सं0
1	7	15.05.08	7,87,712	अक्टूबर 07 से मार्च 08	69
2	25	01.08.08	3,57,000	अप्रिल 08 से जून 08	71
3	39	27.09.08	2,43,100	जुलाई 08 अगस्त 08	72
4	44	27.10.08	2,40,516	सितम्बर 08 – अक्टुबर 08	72
5	56	02.01.09	3,38,467	नवंबर 08 – दिसम्बर 08	78
6	69	24.02.09	1,73,906	जनवरी 09	77
7	76	27.03.09	1,55,216	फरवरी 09	77
8	2	21.04.09	1,65,362	मार्च 09	78
9	12	19.06.09	1,70,791	अप्रैल 09	78
10	28	08.08.09	1,70,969	मई 09	78
11	36	18.08.09	3,34,017	जून – जुलाई 09	77
12	45	18.09.09	1,73,283	अगस्त 09	77
13	51	16.10.09	1,68,388	सितम्वर 09	77
14	72	17.12.09	1,65,362	अक्टूबर 09	71
15	82 A	22.02.09	3,15,149	नवम्बर 09 से दिसम्बर 09	71
		कुल –	**39,59,238**		

साथ ही दैनिक मजदूरों को प्रतिमाह 26 दिन से अधिक अवधि के लिए भी भुगतान की जा रही थीं। इसे रोका जाए तथा किसी भी माह अधिकतम 26 दिन तक का ही भुगतान किया जाए।

162

साथ ही सरकार द्वारा दैनिक मजदूरों को कार्य पर रखने की पाबंदी लगाई हुई थी, इसके बावजूद भी दैनिक मजदूरों से कार्यकराया गया था। अतः सरकार से Ex-Post Facto स्वीकृति प्राप्त करने तक व्यय राशि रू0 39,59,238 को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

14. **अग्रिम**

नगर परिषद में अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के पूर्व असमायोजित अग्रिम राशि, अंकेक्षण वर्ष में दी गई अग्रिम राशि, समायोजित अग्रिम व दिनांक 31.03.10 को असमायोजित अग्रिम राशि ज्ञात नहीं की जा सकी। अतः अग्रिम पंजी का संधारण विहित प्रपत्र में कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

I. **वेतन व अन्य अग्रिम** :– हालांकि रोकड़ बही की नमूना जांच के आधार पर दी गई अग्रिम राशि (वेतन व अन्य हेतु) इस प्रकार थी:–

क0 सं0	अभिश्रव सं0 चेक सं0	दिनांक	अग्रिम राशि	अग्रिम प्राप्तकर्ता का नाम (सर्व श्री)	उद्देश्य	अभ्युक्ति
1	5	21.04.08	10,000	रीता कुमारी, चपरासी	वेतन अग्रिम	न0प0निधि
2	12/7	19.06.09	50,000	अमरनाथ झा, क0ले0लि0	– वही –	– वही –
3	51/5	16.10.09	1,00,000	विनय कुमार वर्मा, लेखापाल	– वही –	– वही –
4	7	25.05.09	25,000	नरेन्द्र कुमार, सहायक	26 चापाकल गाड़ने हेतु	– वही –
5	59/31	11.11.09	5,000	रघुनन्दन यादव, लिपिक	अलाव जलाने हेतु	– वही –
6	91	06.03.10	23,000	रोकड़पाल, विकास कुमार	पार्षदों के मुम्बई व मुंगेर जाने का यात्रा भत्ता अग्रिम	– वही –
7	60/2	06.02.09	1,500	विकास कुमार, सहायक	निर्वाचन हेतु	– वही –
8	48/17	13.11.08	5,000	स्व0 प्रेम शंकर सिंह, लिपिक	– वही –	– वही –
9	55	16.10.09	20,000	भूपेन्द्र प्र0 यादव, सफाई निरीक्षक	छठ पर्व के अवसर पर सीढ़ी घाट पर मिट्टी भराई व काठ का पुल निर्माण	– वही –
10	14	01.08.06	40,000	विनय कुमार वर्मा, लेखापाल	वेतन अग्रिम	– वही –
11	0925130	26.02.10	2,50,000	लिच्छवी, खगड़िया के सचिव	प्रशिक्षण हेतु	SGSRY
		कुल – रू0	**5,29,500**			

आपत्ति निर्गत के पश्चात् निम्न अग्रिम जमा की गई। विवरण नीचे है।

क0 सं0	नाम	राशि	विविध रसीद सं0/ तिथि
1	विकास कुमार, रोकड़पाल	23,000	2476/25.02.11
2	रघुनंदन यादव, सहायक	5,000	2479/28.02.11
3	नरेन्द्र कुमार, सहायक	25,000	2449/02.02.11
	कुल –	रू0 53,000	

इसके अलावे 30.09.10 से अप्रिल 2010 के वेतन से श्री विनय कु0 वर्मा, श्री अमरनाथ झा व सुश्री रीता कुमारी के वेतन अग्रिम की राशि क्रमशः रू0 1,00,000 रू0 50,000 व रू0 10,000 की किश्त राशियॉ क्रमशः रू0 6,000, रू0 2,500 व रू0 1,000 प्रतिमाह सामंजन शुरू किया गया था, इसके पूरे सामंजन को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए। इतने विलम्ब से कटौती करनी क्यों शुरू की गई थी, इसे भी अगले अंकेक्षण को बताया जाए।

श्री विकास कुमार, सहायक की अग्रिम राशि 1,500 रू0 दिनांक 12.07.10 को सामंजित हुई थी।

शेष अग्रिम राशि रू0 3,15,000 की वसूली/सामंजन को अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया था। प्रेम शंकर सिंह, मृत थे, श्री भूपेन्द्र प्र0 यादव, मार्च 2011 में तथा श्री विनय कुमार वर्मा नवम्बर 2011 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः प्राधिकार से अनुरोध है कि इन्हे सेवा निवृति के लाभ के भुगतान के पूर्व इन्हें प्रदत्त अग्रिम की वसूली सुनिश्चित किया जाए तथा इसे वसूल कर रू0 65,000 अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

सचिव, लिच्छवी, खगड़िया को दी गई अग्रिम राशि रू0 2,50,000 की सामंजन को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

14. (II) वर्षो पुरानी कार्य का अधुरा रहना/अग्रिम की वसूली/समायोजन नहीं होना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 248/08–09 वर्ष 2006–07 से 2007–08 की कंडिका सं0 11,23,35 व 38 (i) के अनुपालन प्रतिवेदन की जॉच में पाया गया कि वर्षों पुरानी योजना अभी तक अधूरी थी तथा इसे में दी गई अग्रिम राशि की वसूली/समायोजन अभी तक नहीं की गई थी। विवरण नीचे है:–

क्र0 सं0	योजना सं0 व नाम	निधि	प्रा0 राशि	अग्रिम की राशि	अग्रिम की तिथि	अभिकर्त्ता का नाम (सर्व श्री)	अभ्युक्ति
1	2/05–06 लिंक रोड का अप–ग्रेडेशन (सोनवर्षा कचहरी से शकुनी चौक व दुर्गास्थान गली)	I.D.S.M.T.	10,38,100	7000	09.02.06	बिनय कुमार वर्मा प्र0स0 सह लेखापाल	कार्य 1,28,879 रू0 पर 08.10.06 तक करने के बाद बंद/ अग्रिम राशि रू0 7,000 समायोजित
				1,14,102	09.03.10		
				1,21,102			
2	9/05–06 कमर्शियल कम्पेक्स का निर्माण	– वही –	24,99,800	16,43,653 (5 किस्तों में)	09.02.06से 07.03.07	उमेश कुमार उदय, कं0 अं0	मापी पुस्त की राशि 17,00,478 रू0 अभिश्रव व मस्टर रौल, शुन्य
3	14/03–04 दीपक रेस्ट हाउस से मुर्गेरिया चौक तक सड़क व नाला निर्माण	11th F.C.	13,92,650	13,17,000	05.03.04 से 18.05.04	रमेश कुमार, सहायक	कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 15.12.06 का प्रति हस्ताक्षरित मापी पुस्त जिसमें कार्य की राशि रू0 13,92,541 अंकित परंतु कार्यालय द्वारा अभी तक पारित नहीं
4	1/05–06 वार्ड न0 2 व4 में सड़क निर्माण	N.S.D.P.	4,82,800	4,37,324	12.01.06 से 01.08.06	विनय कु0 वर्मा प्र0 स0 सह लेखापाल	M.B. Rs. 2,86,534 का ही मात्र। दिनांक 18.02.06 का कार्य अधुरा तथा अग्रिम 01.08.06 को दी गई रू0 1,50,000 वर्ष से पड़ा रहना ।
5	2/04–05 धनेश्वर पान दुकान से डा0 आर0सी0 प्रसाद घर तक वार्ड मद में सड़क मरम्मती कार्य	नगर परिषद निधि	1,35,600	7000	16.09.04	– वही –	दिनांक 13.11.04 का प्रथम चालू विपत्र रू0 89,514 की मापी पुस्त समर्पित। इसके बाद कार्य शुन्य
				50,000	24.07.06		
				57,000			
6	13/03–04 अम्बेदकर भवन टाउन हॉल की मरम्मति	SJSRY	6,46,400	5,57,000 (4 किस्तों में)	18.11.03 से 29.03.04	रघुनंदन प्र0 यादव, सहायक	मापी पुस्त सं0 7/03–04 में पृष्ठ सं0 17 में कार्य0 अ0 द्वारा 3,97,205 रू0 की दि0 20.04.09 की कार्य सम्पन/ Mr/Vr – Nil

नियमतः एक अग्रिम राशि की समायोजन के पश्चात् ही दूसरी अग्रिम देने का प्रावधान है। परंतु इसे दर किनार कर बिना सामंजन के ही अग्रिम पर अग्रिम दी गई थी।